11/12/19

पत्रावली पेश हुई। वकील पार्टी ने बताया कि उक्त डिक्री की पालना में इतकाल स्वीकृत से हुआ है। पालना योग्य नहीं है। पत्रावली ही स्थायी ड्रॉप की जाती है। नंबर से कम हो।

आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2019.12.13 17:56:26 IST
Reason: SelfAttested